"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2016— भाद्रपद 18, शक 1938

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 19-16/2014/25-2. — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 16, 30, 39 एवं 83 में शामिल जातियों के आगे उनके सम्मुख अंकित निम्नानुसार जातियों को सम्मिलित करता है :-

क्र.	अ. पि. वर्ग की सूची का क्रमांक	पूर्व से सम्मिलित नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	नवीन सम्मिलित जाति	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	16	भटियारा, हलवाई, गुरिया.	गुड़िया, गुडीया	गुड़ का मिठाई बनाकर बेचना.	--
2.	30	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोगी.	जोगी, नाथजोगी	धार्मिक भिक्षावृत्ति	"जोगी" धार्मिक भिक्षावृति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हण हैं, वे शामिल नहीं हैं.
3.	39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुन्बी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, चंदनाहू, चन्नाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी, गबेल, कुन्वी, कुनवी.	गवेल, गभेल	कृषि एवं कृषि मजदूरी	--
4.	83	थोरिया	थुरिया, थुड़िया	कृषि मजदूरी	--

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.